

FROM No. III

फॉर्म अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत..... ~~सहायक कलक्टर~~ (2020) बायतु..... मुकाम.....

विशाना नाम..... बनाम..... पीराना पठाण

किस्म मुकदमा..... नं. 192/2022 सन् 2022

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
10/05/2022	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री..... ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा..... राजस्थान काश्तकारी/भू-संस्कार अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन्न तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक..... 07/06/2022 को पेश हो।	
07/06/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी- गणों के नोटिस पूर्व में जारी रजि- स्टर्ड एडी मिजकाथे गथे जिनको करीब एडी पुनः प्राप्त नहीं हुई है इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक - 16/08/2022 को पेश हो।	
16/08/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी- गणों के नोटिस पूर्व में जारी रजि- स्टर्ड एडी मिजकाथे गथे जिनको करीब 2 माह से इन्तजार का समय लम्बित	

सहायक कलक्टर (S-
बायतु
जिला - बाड़मेर

तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

हो चुका है बावजूद सूचना विप्राथी
 गण अनुपस्थित रहे न्यायालय सामने
 तीन बार आवान लगाई गई अंततः
 आवान 5.45 pm पर लगाई गई विप्राथी
 गण स्वयं या उनकी तरफ से कोई
 अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ (लिखा)
 विप्राथी गणों के विरुद्ध एडवोकेट कार्यवाही
 प्रमल में लाई जाती है अतः पाठ्य बहस
 पत्रावली दिनांक 22/08/2022 को फेर दी।

सिवाय

प्राथम

1

सहायक कलेक्टर (SDO)

22/08/2022

प्राथी वकील उपस्थित/ विप्राथीगण बावजूद ^{बायतु} ^{जिला - बाड़मेर} ^{मिल}
 अनुपस्थित/ प्राथी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्राथी के
 अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्राथी एवं विप्राथीगणों के
 खातेदारी खेत सेढां सेढां आए हुए है। प्राथी एवं विप्राथीगणों
 के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो
 वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्राथी
 एवं विप्राथीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा
 विवाद बना रहता है इस कारण प्राथी को अपने खेत की
 सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी
 आवश्यक है इसलिए प्राथी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार
 किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें।

अतः प्राथी अधिवक्ता के निवेदन पर प्राथी का
 नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को
 कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि
 आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक से प्राथी के
 खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क
 जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल
 पत्रावली हो, पत्रावली फौसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो,
 दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर (SDO)

बायतु
जिला - बाड़मेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु, जिला बाड़मेर

क्रमांक : वाद / 2022 / 1260

दिनांक : 22/8/2022

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. विशनाराम पुत्र केसराराम,
जाति जाट, निवासी गंगावास,
पटवार मण्डल कोसरिया,
तहसील बायतु (बाड़मेर)

1. पीराराम पुत्र मगाराम वगैरा 26,
जाति जाट, निवासी लुणाडा,
पटवार मण्डल लुणाडा,
तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 192 / 2022

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा - गंगावास, पटवार मण्डल - कोसरिया, तहसील - बायतु, जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नं. 530/35, 531/35, 541/57, 549/35 रकबा क्रमशः 3.7861, 0.2427, 2.6859, 0.1052 हेक्टेयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा संकता है। लिहज्जा: प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नैखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक : वाद / 2022 / 1261 - 65

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का कोसरिया को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मग्न रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री विशनाराम पुत्र केसराराम,
4. विप्रार्थी श्री पीराराम पुत्र मगाराम वगैरा 26,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु/गिडा/नागाणा।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक जिला - बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी (300)
बायतु
जिला - बाड़मेर